न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अति गर्ग,....

राजस्व वाद संख्या :– 332/2019

1. जसवीर सिंह | पिसरान बलवन्त सिंह जाति कुम्हार साकिन अमरपुरा
2. अंग्रेज सिंह | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। — — वादीगण

–: बनाम :–

1. बलवन्त सिंह पुत्र गुरदित्ता सिंह जाति कुम्हार साकिन अमरपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कर्मजीत कौर पुत्री बलवन्त सिंह पत्नी बलवन्त सिंह जाति कुम्हार साकिन पुरूषोतमदास वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मनजीत कौर पुत्री बलवन्त सिंह पत्नी हरदेव सिंह जाति कुम्हार साकिन रतनपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सर्वजीत कौर पुत्री बलवन्त सिंह पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति कुम्हार साकिर रतनपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता —वादीगण
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता —— प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री **गुरदित्ता सिंह** थे ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 20 जे.आर.के. के खाता सं. 82 के प.नं. 42/260 के किला नं. 15 की 0.253 हैक. व खाता सं. 83 के प.नं. 42/260 के किला नं. 14 की 0.253 हैक. व खाता सं. 84 के प.नं. 42/252 के किला नं. 1 ता 5, 9/2, 10, 24/2, 25 की 2.178 हैक. नहरी अ.क. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री गुरदित्ता सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात प्रश्नगत रकबा प्रतिवादी सं. 1 को विरासत/दस्तबरदारी के प्राप्त हुआ है । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया जिसमे प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का हक त्याग वादीगण के हक में मौखिक रूप से कर दिया जिसका वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा हुआ है जो निम्न प्रकार से है :

Scanned by CamScanner

वादी सं. 1 जसवीर सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :

चक	प.नं.	किला	तादादी
20 जे.आर.के.	42/252	1, 2/.176, 9/2/.177, 10, 24/2/.228, 25	1.341 हैक.

वादी सं. 2 अंग्रेज सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :

चक	प.नं.	किला	तादादी
20 जे.आर.के.	42/252	2/.076, 3 ता 5	0.835 हैक.

शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुआ।

वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क–ख" मे वर्णित रकबा अनुसार वादीगण का कब्जा घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 4 की. उप दफा "क–ख" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाने तथा आपसी खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतुक है।

प्रतिवादी सं. 5 भू.धारक है इसलिए उन्हे आवयश्क पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :

(क). घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क–ख" मे वर्णित रकबा के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

(ख). मुताबिक अनुतोष "क" वादीगण क भूमि का आपसी खाता तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ग). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ). अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 13.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री नवीन जैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेवाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :–

वादी सं. 1 जसवीर सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :

चक	प.नं.	किला	तादादी
20 जे.आर.के.	42/252	1, 2/.176, 9/2/.177, 10, 24/2/.228, 25	1.341 हैक.

Scanned by CamScanner

वादी सं. 2 अंग्रेज सिंह को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :

चक	प.नं.	किला	तादादी
20 जे.आर.के.	42/252	2/.076, 3 ता 5	0.835 हैक.

शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुआ।

यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष उक्त राजीनामा अपने पूर्ण होश हवास व सहमति से बिना किसी दवाव व वहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्वंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा 'क–ख' में

Scanned by CamScanner

वर्णित रकबा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक **20.08.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा